फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

श्योनारायण वगैरह बनाम राज. सरकार वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 281/2019 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	7/8/24	प.वादी उपस्थित वादी स्वयं मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किया गया तथा गवाह हरफूल कुमार, रतन कुमार की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं अतः साक्ष्य वादी का अवसर बंद किया जाता है। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई। पत्रावली वास्ते उपयोगार्थ आदेश हेतु दिनांक 29/8/24 को पेश हो।	श्योनारायण हरफूल रतन कुमार
	29/8/24	प.वादी उपस्थित वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियम अनुसार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0 / मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर (R.A.S.)

विशेष विवरण

मुकदमा नं0:–28 / 2019

उनवान

1. श्यालोराम पुत्र मांगूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. जडाव देवी पत्नि स्व0 ग्यारसीलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल (मृतक दौराने दावा)
   3/1. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल
   3/2. मंजू पुत्री स्व0 बाबूलाल
   3/3. माया पुत्री स्व0 बाबूलाल
   3/4. राजू देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
   3/5. रीना पुत्री स्व0 बाबूलाल
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. लक्ष्मण पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मालीराम पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. ओरियन्टर बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–29.08.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके राजस्व ग्राम फतेहगढ, पूर्व राजस्व ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 282 गत खाता संख्या 256 में वर्णित खसरा नम्बर 838 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैरमुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 1.006 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 / 1857 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 / 1746 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल कि[illegible] का कुल रकबा 6.47 है0, एवं हाल खाता संख्या 35 गत खसरा नम्बर 35 में शामिल खसरा नम्बरान 838 / 1736 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 838 / 1863 रकबा 0.05 [illegible] खसरा नम्बर 840 रकबा 1.08 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 841 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 881 रकबा 3.93 है0, खसरा नम्बर 888/1794 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 888/1745 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 888/1856 रकबा 0.20 है0 कुल किता 10 का कुल रकबा 6.39 है0 स्थित है जिनके गत खसरा नम्बर 300, 298 थे हाल खाता संख्या 282 में वर्णित खसरा नम्बरान कुल किता 9 का कुल रकबा 6.47, है0 भूमि वादीगण संख्या 1 के कब्जेकाश्त व स्वामित्व की भूमि है तथा हाल खाता संख्या 35 में वर्णित खसरा नम्बर कुल किता 10 का कुल रकबा 6.39 है0 वादीगण संख्या 2 लगा0 4 व प्रारुपिक प्रतिवादीगण संख्या 4 लगा0 10 के कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, उपरोक्त आराजियात में से हाल खसरा नम्बर 882 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैरमुमकिन चाहा के पूर्व दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 883 के उत्तर दिशा की ओर एवं हाल खसरा नम्बर 888/1745 के दक्षिण दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 886/1746 के उक्ततर दिशा की ओर उक्त अंकित डॉट डॉट लाईन एवं उक्त खसरा नम्बर वाद पत्र में विवादग्रस्त है। जिस कि वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। हाल खाता संख्या 282 में वर्णित खसरा नम्बर कुल किता 9 का कुल रकबा 6.47 हैक्टेयर भूमि एवं हाल खाता संख्या 35 में वर्णित खसरा नम्बर 10 का कुल रकबा 6.39 हैक्टेयर भूमि एवं इसके अलावा अन्य गत खसरा नम्बरान 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 120, 133, 137 वादीगण संख्या 1, वादीगण संख्या 2 लगा0 4 व प्रारुपिक प्रतिवादीगण संख्या 4 लगा0 10 के पति/पिता स्व0 ग्यारसीलाल तथा उनके भाईयों छोटू, नारायण की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि थी उक्त गत खसरा नम्बरान के साथ ही विवादित भूमि खसरा नम्बर 882, 883 एवं 886/1746 वादीगण संख्या 1 एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 888/1745 जिनके गत खसरा नम्बरान 298 थे, हाल खाता संख्या 282 व 35 के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 लगा0 4 व प्रारुपिक प्रतिवादीगण संख्या 4 लगा0 10 के पति/पिता स्व0 ग्यारसीलाल को प्राप्त हुई तत्पश्चात् उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि को अलग अलग खातो में दर्ज कर दी गई। खाता संख्या 282 में वर्णित आराजीयात एवं वादीगण संख्या 2 लगा0 4 व प्रारुपिक प्रतिवादीगण संख्या 4 लगा0 10 के पति/पिता स्व0 ग्यारसीलाल को हाल खाता संख्या 35 में वर्णित आराजीयात प्राप्त हुई उपरोक्त विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 882 जो कि गैरमुमकिन चाहा है खसरा नम्बर 883, 886/1746 तथा विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 888/1745 जो कि चाहा की भूमि है के राजस्व नक्शे सन 1959 में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर किसी भी प्रकार की कोई डॉटेड–डॉटेड रेखा कभी [illegible] अंकित नहीं था, ना ही विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 882, 883 गैरमुमकिन [illegible] 886/1746 में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर डॉट डॉट लाईन के रुप में [illegible] रेखा ही सेटलमेंट से पूर्व कभी विद्यमान ही था, अर्थात विवादित भूमि खसरा नम्बर 882 गैरमुमकिन चाहा व खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

888 / 1745 के दक्षिण दिशा की आरे एवं अन्य खसरा नम्बर 883 एवं खसरा नम्बर 886 / 1746 के उत्तर दिशा की आरे पूर्व दिशा की ओर आगे जाते हुए डॉट डॉट लाईन के रुप में सेटलमेंट से पूर्व कभी कोई रास्ता या पगडंडी मौके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड में विद्यमान नही रहा है, ना ही वर्तमान में ऐसा कोई रास्ता या पगडंडी मौके पर विद्यमान है उक्त विवादित खसरा नम्बर 882 गैरमुमकिन चाहा खसरा नम्बर 883, 886 / 1746 व खसरा नम्बर 888 / 1745 में उपरोक्त डॉटेड–डॉटेड (डॉट–डॉट) रेखा जो सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है भी उपरोक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी मानचित्र में बरंग लाल मार्क ए से बी डॉट डॉट लाईन के रुप में प्रदर्शित किया गया है। वादीगण संख्या 2 लगा0 4 व प्रारुपिक प्रतिवादीगण संख्या 4 लगा0 10 के पति / पिता स्व0 ग्यारसीलाल की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान् वादीगण संख्या 2 लगा0 4 व प्रारुपिक प्रतिवादीगण संख्या 4 लगा0 10 है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 882, 883, 886 / 1746 व खसरा नम्बर 888 / 1745 के गत खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 298 में है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट से पूर्व किसी भी प्रकार से पश्चिम दिशा की ओर डॉट डॉट लाईन के रुप में मौके पर अथवा रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता या पगडंडी विद्यमान नहीं रहा है तथा उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 882 व खसरा नम्बर 888 / 1745 के दक्षिण दिशा एवं खसरा नम्बर 883 व खसरा नम्बर 886 / 1746 के उत्तर दिशा की ओर अर्थात् कभी कोई रास्ता या पगडंडी राजस्व नक्शे में नही रही है एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 882 के पूर्व दिशा की ओर तथा खसरा नम्बर 888 / 1745 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर स्थित अन्य भूमि खसरा नम्बर 908 वाके ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जो कि प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तक कभी कोई रास्ता या पगडंडी विवादित डॉटेड लाईन के रुप में वादीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी विवादित भूमि खसरा नम्बर 882, 883 व 888 / 1745, 886 / 1746 से होकर विवादित रास्ते के रुप मे मौके पर व पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में अर्थात् सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में विद्यमान नहीं रहा है ना ही मौके पर विद्यमान है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 के पास स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 908 में आवागमन हेतु स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 910 / 2 एवं 910 / 1 जो कि वाके ग्राम फतेहगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है के पश्चिमी दिशा की ओर आ रहे खसरा नम्बर से होकर रास्ता या पगडंडी मौके पर विद्यमान रहा है तथा वर्तमान में भीं है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 910 / 2, 902, 908, 910 / 1 में पूर्व से ही स्वयं के व अपने अ[illegible] की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 910 / 2, 910 / 1 में उत्तर [illegible] जो कि आगे की ओर पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 911 / 2, 913 / 2 से होकर गुजरता है का उपयोग उपभोग पूर्व से ही करता चला आ रहा है जो रास्ता या पगडंडी मौके पर भी विद्यमान है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कभी भी विवादित भूमि खसरा नम्बर 882, 883 व 888/1745, 886/1746 में सहवन से राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि व प्रतिवादी संख्या 2 से मिलीभगत के कारण वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज विवादग्रस्त डॉटेड डॉटेड (डॉट–डॉट) रेखा का कभी कोई उपयोग उपभोग रास्ते या पगडंडी के रुप में नही किया गया, ना ही वर्तमान में किया जा रहा है। वादीगण द्वारा अनेक मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1 को विवादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व नक्शे में सहवन से राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश व प्रतिवादीगण संख्या 2 से मिलीभगत के कारण अंकित हुये विधि विरुद्ध विवादित डॉटेड डॉटेड (डॉट–डॉट) रेखा जो कि मौके पर कभी भी विद्यमान नही रहा है को वर्तमान राजस्व नक्शे में दुरुस्ती बाबत् अनेक मर्तबा निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा सदैव ही विवादित आराजीयात के राजस्व नक्शे को दुरुस्त किये जाने बाबत् वादीगण को आश्वासन दिया गया जिस पर वादीगण द्वारा सद्भावनापूर्वक विश्वास किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 जो कि उच्च राजनैतिक व प्रशासनिक पंहुच वाला व्यक्ति है की नियत में खोट आ गया है तथा अब वह विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 882, 883 व 888/1745, 886/1746 में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर त्रुटिवश मौकास्थिति के विपरीत अंकित करवाये गये विवादग्रस्त डॉटेड डॉटेड (डॉट–डॉट) रेखा पर से जबरियो मौके पर प्रतिवादी संख्य 1 से मिलीभगत कर रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसका कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा विवादित आराजीयात पर से मौके पर जबरिया रास्ता या पगडंडी अंकित करवाकर विवादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या 1 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ संगठित होकर दिनांक 01.08.2019 को विवादग्रस्त आराजीयात पर आये तथा विवादग्रस्त आराजीयात पर से जबरिया विधि विरुद्ध रुप से मौके पर रास्ता या पगडंडी कायम करने लगे जिस बाबत् वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को निवेदन कर समझाने का प्रयास किया गया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 882, 883 व 886/1746 वादी संख्या 1 की निजी भूमि है जिसकी किस्म वर्तमान में गैरमुमकिन चाह है जिसका उपयोग वादी संख्या 1 द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि की सिंचाई करने व कृषि कार्य में किया जाता है जिस पर से कभी कोई रास्ता या पगडंडी मौके पर विद्यमान नही रहा है ना ही गैरमुमकिन चाह की भूमि को रास्ते के रुप में काम में लिया जा सकता है। इसी प्रकार वादीगण संख्या 2 लगा0 4 द्वारा भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा [illegible] बाबत् समझाने का प्रयास किया गया कि विवातिद भूमि खसरा नम्बर [illegible] की किस्म रिकॉर्ड में चाही द्वितीय की भूमि है जिस पर उसके [illegible] जा रहा है जिस पर भी मौके पर कभी रास्ता या पगडंडी कायम नहीं [illegible] हैं। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजियात गैरमुमकिन रास्ते की भूमियां दर्ज नही है जिस कारण उन्हें किसी भी प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कल... (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मौके पर रास्ता या पगडंडी कायम करने का अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा इस प्रकार से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को समझाने का प्रयास किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उग्र हो गये तथा वादीगण से लडाई झगडा करने लगे व वादीगण को ऐलानिया धमकी देने लगे कि वह उनका कुछ नहीं कर सकते है तथा अब वह शीघ्र ही पुलिस बल लेकर मौके पर आयेंगे तथा जबरिया विवादित आराजीयात पर से मौके पर रास्ता या पगडंडी कायम कर देंगे जिसमें यदि वादीगण ने कोई आपत्ति व उज्र किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रतिवादीगण संख्या 2 उच्च राजनेतिक पंहुच वाला व्यक्ति है जिस कारण वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा किये जा रहे अवैध कृत्य को स्वयं रोक पाने में असमर्थ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अवैध कृत्य के संदर्भ में वादीगण संख्या 1 द्वारा लिखित में एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर को दिया गया। जिस कारण वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 882 के दक्षिण दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 883 के उत्तर दिशा की ओर एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 888 / 1745 के दक्षिण दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 886 / 1746 के उत्तर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम विवादित आराजीयात के हाल राजस्व नक्शे में डॉट डॉट लाईन के रुप में दौराने सेटलमेंट सहवन से त्रुटिवश अंकित तथाकथित विवादित रास्ते या पगडंडी के संदर्भ में अंकित की गई रखाओं को हजफ किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे को दुरुस्त किया जावे तथा विवादित आराजीयात के संदर्भ में कायम किये गये हाल राजस्व नक्शे को सेटलमेंट पूर्व नक्शे अनुरुप दुरुस्त किया जावे तथा विवादित आराजीयात के संदर्भ में प्रतिवादीगण संख्या 1 व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा कायम किये गये हाल राजस्व नक्शे में विवादित आराजीयात के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम डॉट डॉट लाईन के रुप में अंकित की गई तथाकथित विवादित रास्ते के संदर्भ में अंकित प्रविष्टि को अवैध व शून्य घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादग्रस्त आराजीयात के वादीगण द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान कारित नहीं करें ना ही विवादग्रस्त आराजीयात पर से बेदखल करें, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात पर जबरिया रास्ता [illegible] ना ही रोड डाले, उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 [illegible] अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन इत्यादि के जरिये करें या करावें अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादित आराजीयात की वर्तमान मौके की स्थिति यथावत बनायें रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः दिनांक 10.06.2024 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार चोमूं से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट हाल खसरा नम्बर 838, 839 के गत खसरा नम्बर 300 से बने है एवं खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884, 884 / 1857, 885, 886, 886 / 1746 खसरा नम्बर 298 से बने है। खसरा नम्बर 840 / 1654 रकबा 0.13 किस्म गै0मु0 रास्ता की खातेदारी सिवायचक राज0सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि वादीगण इसी रास्ते से खसरा नम्बर 882, 883 तक आते जाते है जो कि मौके पर चालू है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। हाल खसरा नम्बर 838, 839, 881, 882, 883, 884, 884 / 1857, 885, 886, 886 / 1746, 888 के गत खसरा नम्बर 298, 300 के संलग्न भू प्रबन्ध विभाग से जारी नक्शे में डॉटेडलाईन प्रदर्शित नहीं है। खसरा नम्बर 888 / 1745 की दक्षिणी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की डॉटेड लाईन प्रदर्शित है। जोकि रास्ते के रुप में काम नहीं आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बर 882, 883, 886 / 1746, 888 / 1745 के गत खसरा नम्बरान 298, 300 में डॉटेडलाईन प्रदर्शित नहीं है। अर्थात् सेटलमेन्ट से पूर्व कभी रास्ता मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में विद्यमान नहीं रहा है ना ही वर्तमान में ऐसा कोई रास्ता मौके पर विद्यमान है। प्रतिवादीगण के पास स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 908 में आवागमन हेतु स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 913 / 2, 918 / 1, 912 / 2 जो कि मुख्य डामर सडक से आने जाने के काम आ रहा है। जो कि नक्शा में प्रदर्शित है। वादी संख्या 4 के द्वारा साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श संख्या 1 लगा0 8 अंकित किया गया। स्वतंत्र गवाह के रुप में शपथ पत्र कृष्ण कुमार एवं रतन कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। शामील पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट विवादग्रस्त आराजीयात में सेटलमेन्ट से पूर्व कभी रास्ता मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में विद्यमान नही रहा है और ना ही वर्तमान में ऐसा कोई रास्ता मौके पर विद्यमान है। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया [illegible] आ[illegible] डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि[illegible] पूर्व राजस्व ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र नांगल भर[illegible], तहसील चौमूं, जिला जयपुर आराजीयात हाल खसरा नम्बर 882 के दक्षिण दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 883 के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर दिशा की ओर एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 888/1745 के दक्षिण दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 886/1746 के उत्तर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम विवादित आराजीयात के हाल राजस्व नक्शे में अंकित की गई तथाकथित विवादित रास्ते के संन्दर्भ में अंकित प्रविष्ठी डॉट डॉट लाईन/रेखाओं को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जावें। डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

सहायक कलक्टर (फा० ट्रे क)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–28/2019
उनवान– श्योलाराम बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक– 29.08.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–09/2023

उनवान

1. श्यालोराम पुत्र मांगूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. जडाव देवी पत्नि स्व0 ग्यारसीलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल (मृतक दौराने दावा)
   3/1. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल
   3/2. मंजू पुत्री स्व0 बाबूलाल
   3/3. माया पुत्री स्व0 बाबूलाल
   3/4. राजू देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
   3/5. रीना पुत्री स्व0 बाबूलाल
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. लक्ष्मण पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मालीराम पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. ओरियन्टर बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके राजस्व ग्राम फतेहगढ, पूर्व राजस्व ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजीयात हाल खसरा नम्बर 882 के दक्षिण दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 883 के उत्तर दिशा की ओर एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 883/... के ... दिशा की ओर अर्थात् खसरा नम्बर 886/1746 के उत्तर दिशा की ओर एवं ... विवादित आराजीयात के हाल राजस्व नक्शे में अंकित की गई तथाकथित विवादित रास्ते के संन्दर्भ में अंकित प्रविष्ठी डॉट डॉट लाईन/रेखाओं को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:12:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–28 / 2019
उनवान– श्योलाराम बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक– 29.08.2024

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.08.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा........
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner